भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) के महत्वपूर्ण धाराएँ

Important Sections of the Indian Contract Act, 1872

भाग I: प्रारंभिक (Part I: Preliminary)

* धारा 2: निर्वचन-खंड (Interpretation Clause)

* सिद्धांत (Principle): प्रस्ताव (proposal), स्वीकृति (acceptance), वचन (promise), वचनदाता (promisor), वचनग्रहीता (promisee), प्रतिफल (consideration), करार (agreement), व्ययणीय करार (voidable contract), शून्य करार (void agreement), संविदा (contract) आदि की परिभाषाएं। ये मूलभूत परिभाषाएं हैं जिन पर पूरी संविदा विधि आधारित है।

* English: Defines proposal, acceptance, promise, promisor, promisee, consideration, agreement, voidable contract, void agreement, contract, etc. These are fundamental definitions upon which the entire contract law is based.

भाग II: संविदाओं, व्ययणीय संविदाओं और शून्य करारों के विषय में (Part II: Of Contracts, Voidable Contracts and Void Agreements)

प्रस्ताव और स्वीकृति (Proposal and Acceptance)

* धारा 3: प्रस्थापनाओं, स्वीकृतियों और प्रतिसंहरणों का संवहन (Communication, acceptance and revocation of proposals)

* सिद्धांत (Principle): प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिसंहरण की प्रक्रिया का संवहन कैसे होता है।

* English: Explains how the communication of proposals, acceptances, and revocations is made.

* धारा 4: संवहन कब पूरा होता है (Communication when complete)

* सिद्धांत (Principle): प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिसंहरण का संवहन कब पूरा माना जाता है। यह संविदा के गठन के लिए महत्वपूर्ण है।

* English: Specifies when the communication of a proposal, acceptance, or revocation is deemed complete. This is crucial for the formation of a contract.

* धारा 5: प्रस्थापनाओं और स्वीकृतियों का प्रतिसंहरण (Revocation of Proposals and acceptances)

* सिद्धांत (Principle): प्रस्ताव और स्वीकृति को कब प्रतिसंहरित किया जा सकता है।

* English: Defines when proposals and acceptances can be revoked.

* धारा 6: प्रतिसंहरण कैसे किया जाता है (Revocation how made)

* सिद्धांत (Principle): प्रतिसंहरण के विभिन्न तरीके।

* English: Outlines the various modes of revocation.

संविदा के आवश्यक तत्व (Essentials of a Valid Contract)

* धारा 10: कौन से करार संविदाएं हैं (What agreements are contracts?)

* सिद्धांत (Principle): वैध संविदा के लिए आवश्यक तत्व - स्वतंत्र सहमति (free consent), सक्षम पक्षकार (competent parties), विधिपूर्ण प्रतिफल (lawful consideration), विधिपूर्ण उद्देश्य (lawful object), और शून्य घोषित न किया गया हो।

* English: Lists the essential elements for a valid contract – free consent, competent parties, lawful consideration, lawful object, and not expressly declared void.

* धारा 11: संविदा करने के लिए कौन सक्षम हैं (Who are competent to contract?)

* सिद्धांत (Principle): संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्तियों को परिभाषित करता है (व्यस्क, स्वस्थ चित्त, कानून द्वारा अयोग्य न हो)।

* English: Defines persons competent to contract (major, sound mind, not disqualified by law).

* प्रमुख मामला (Leading Case): Mohori Bibee v. Dharmodas Ghose, (1903) 30 Cal 539

* सिद्धांत (Principle): अवयस्क (Minor) द्वारा किया गया करार शून्य (void ab initio) होता है, व्ययणीय (voidable) नहीं।

* English: A contract entered into by a minor is void ab initio, not merely voidable.

* धारा 12: संविदा करने के प्रयोजनों के लिए स्वस्थ चित्त क्या है (What is a sound mind for the purposes of contracting?)

* सिद्धांत (Principle): एक व्यक्ति को स्वस्थ चित्त का कब माना जाता है।

* English: Defines when a person is considered to be of sound mind for contracting.

स्वतंत्र सहमति (Free Consent)

* धारा 13: 'सहमति' परिभाषित (Consent Defined)

* सिद्धांत (Principle): सहमति की परिभाषा - दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत हों (Consensus ad idem)।

* English: Defines consent – two or more persons agreeing upon the same thing in the same sense (Consensus ad idem).

* धारा 14: 'स्वतंत्र सहमति' परिभाषित (Free Consent Defined)

* सिद्धांत (Principle): सहमति कब स्वतंत्र मानी जाती है (जब यह प्रपीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, दुर्व्यपदेशन या भूल से दूषित न हो)।

* English: Defines when consent is said to be free (not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, or mistake).

* धारा 15: 'प्रपीड़न' परिभाषित (Coercion Defined)

* सिद्धांत (Principle): प्रपीड़न (Coercion) की परिभाषा और इसके प्रभाव।

* English: Definition of coercion and its effects.

* धारा 16: 'अनुचित प्रभाव' परिभाषित (Undue Influence Defined)

* सिद्धांत (Principle): अनुचित प्रभाव (Undue Influence) की परिभाषा और इसके प्रभाव, 'वास्तविक या आभासी अधिकार' की अवधारणा।

* English: Definition of undue influence and its effects, including the concept of 'real or apparent authority'.

* धारा 17: 'कपट' परिभाषित (Fraud Defined)

* सिद्धांत (Principle): कपट (Fraud) की परिभाषा, जानबूझकर गलतबयानी या तथ्यों को छिपाना।

* English: Definition of fraud, including intentional misrepresentation or concealment of facts.

* धारा 18: 'दुर्व्यपदेशन' परिभाषित (Misrepresentation Defined)

* सिद्धांत (Principle): दुर्व्यपदेशन (Misrepresentation) की परिभाषा, निर्दोष गलतबयानी।

* English: Definition of misrepresentation, including innocent misstatement.

* धारा 19: स्वतंत्र सहमति के बिना करारों की व्ययणीयता (Voidability of agreements without free consent)

* सिद्धांत (Principle): प्रपीड़न, कपट, दुर्व्यपदेशन, अनुचित प्रभाव से हुई संविदाओं का प्रभाव।

* English: Effects of contracts caused by coercion, fraud, misrepresentation, or undue influence (making them voidable).

* धारा 19A: अनुचित प्रभाव द्वारा उत्प्रेरित संविदा को अपास्त करने की शक्ति (Power to set aside contract induced by undue influence)

* सिद्धांत (Principle): न्यायालय की शक्ति कि वह अनुचित प्रभाव से हुई संविदा को अपास्त करे।

* English: Power of the court to set aside a contract induced by undue influence.

भूल (Mistake)

* धारा 20: करार शून्य जहां दोनों पक्षकार तथ्य की बात के बारे में भूल में हों (Agreement void where both parties are under mistake as to matter of fact)

* सिद्धांत (Principle): द्विपक्षीय भूल (Bilateral mistake) का प्रभाव, जिससे करार शून्य हो जाता है।

* English: Effect of bilateral mistake (mistake by both parties as to a matter of fact) making the agreement void.

* धारा 21: विधि के बारे में भूल का प्रभाव (Effect of mistake as to law)

* सिद्धांत (Principle): विधि की भूल का प्रभाव (Ignorantia juris non excusat – कानून की अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं है)।

* English: Effect of a mistake as to law (Ignorantia juris non excusat – ignorance of law excuses no one).

* धारा 22: किसी एक पक्षकार की तथ्य की बात के बारे में भूल से हुई संविदा (Contract caused by mistake of one party as to matter of fact)

* सिद्धांत (Principle): एकपक्षीय भूल (Unilateral mistake) का प्रभाव, जो आमतौर पर संविदा को शून्य नहीं बनाती।

* English: Effect of a unilateral mistake (mistake by one party as to a matter of fact), which generally does not make the contract void.

विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य (Lawful Consideration and Object)

* धारा 23: कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण हैं, और कौन से नहीं (What consideration and objects are lawful, and what not)

* सिद्धांत (Principle): विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य के लिए मानदंड, और जहां वे गैर-कानूनी हों वहां करार का प्रभाव (जैसे विधि का प्रतिषेध, कपटपूर्ण, अन्य को क्षति पहुँचाने वाला, लोक नीति के विरुद्ध)।

* English: Criteria for lawful consideration and object, and the effect of agreements where they are unlawful (e.g., forbidden by law, fraudulent, injurious to another, opposed to public policy).

* धारा 24: करार शून्य, यदि प्रतिफल और उद्देश्य भागतः अवैध हों (Agreements void, if considerations and objects unlawful in part)

* सिद्धांत (Principle): आंशिक रूप से अवैध प्रतिफल/उद्देश्य वाले करारों का प्रभाव।

* English: Effect of agreements with partially unlawful considerations or objects.

* धारा 25: प्रतिफल के बिना करार शून्य, सिवाय कुछ मामलों के (Agreement without consideration, void, unless it is in writing and registered, or is a promise to compensate for something done, or is a promise to pay a debt barred by limitation law)

* सिद्धांत (Principle): "प्रतिफल के बिना कोई संविदा नहीं" (Nudum Pactum) के सामान्य नियम और उसके अपवाद (जैसे नैसर्गिक प्रेम और स्नेह, अतीत की स्वैच्छिक सेवा, समय-बाधित ऋण का भुगतान करने का वचन)।

* English: The general rule of "no contract without consideration" (Nudum Pactum) and its exceptions (e.g., natural love and affection, past voluntary service, promise to pay a time-barred debt).

शून्य करार (Void Agreements)

* धारा 26: विवाह अवरोधक करार शून्य (Agreement in restraint of marriage, void)

* सिद्धांत (Principle): वयस्क व्यक्तियों के विवाह को रोकने वाले करार शून्य होते हैं।

* English: Agreements in restraint of marriage of adults are void.

* धारा 27: व्यापार अवरोधक करार शून्य (Agreement in restraint of trade, void)

* सिद्धांत (Principle): व्यापार करने से रोकने वाले करार शून्य होते हैं, अपवादों सहित (जैसे सदृश व्यवसाय करने से रोकने वाला सद्भावना का विक्रय)।

* English: Agreements in restraint of trade are void, with certain exceptions (e.g., sale of goodwill restraining a similar business).

* प्रमुख मामला (Leading Case): Madhub Chunder v. Rajcoomar Dass, (1874) 14 Beng. L.R. 76

* सिद्धांत (Principle): धारा 27 के तहत व्यापार अवरोधक करार व्यापक रूप से शून्य होते हैं, भले ही प्रतिबंध उचित हो या नहीं।

* English: Under Section 27, agreements in restraint of trade are broadly void, irrespective of whether the restraint is reasonable or not.

* धारा 28: विधिक कार्यवाही अवरोधक करार शून्य (Agreements in restraint of legal proceedings, void)

* सिद्धांत (Principle): विधिक कार्यवाही को प्रतिबंधित करने वाले करार शून्य होते हैं, अपवादों सहित (जैसे मध्यस्थता खंड)।

* English: Agreements in restraint of legal proceedings are void, with exceptions (e.g., arbitration clauses).

* धारा 29: अनिश्चितता के लिए शून्य करार (Agreements void for uncertainty)

* सिद्धांत (Principle): ऐसे करार जिनकी शर्तें अनिश्चित या स्पष्ट नहीं हैं, शून्य होते हैं।

* English: Agreements whose terms are uncertain or vague are void.

* धारा 30: बाजी के तौर पर करार शून्य (Agreements by way of wager, void)

* सिद्धांत (Principle): बाजी करार (Wagering agreements) शून्य होते हैं और उनके लिए कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता।

* English: Wagering agreements are void and cannot be sued upon.

* प्रमुख मामला (Leading Case): Gherulal Parakh v. Mahadeodas Maiya, AIR 1959 SC 781

* सिद्धांत (Principle): बाजी करार शून्य होते हैं, लेकिन अवैध नहीं, इसलिए उनसे जुड़े सहायक लेनदेन वैध हो सकते हैं।

* English: Wagering agreements are void but not illegal, so collateral transactions to them might be valid.

भाग III: समाश्रित संविदाएं (Part III: Of Contingent Contracts)

* धारा 31: 'समाश्रित संविदा' परिभाषित ('Contingent contract' defined)

* सिद्धांत (Principle): समाश्रित संविदा की परिभाषा (ऐसी संविदा जो किसी संपार्श्विक घटना के घटने या न घटने पर निर्भर करती है)।

* English: Defines a contingent contract (a contract to do or not to do something, if some event, collateral to such contract, does or does not happen).

* धारा 32 से 36: समाश्रित संविदाओं के प्रवर्तन से संबंधित नियम।

* सिद्धांत (Principle): असंभव घटनाओं पर आधारित समाश्रित संविदाओं का प्रभाव।

* English: Rules relating to the enforcement of contingent contracts, and the effect of contingent contracts based on impossible events.

भाग IV: संविदाओं का पालन (Part IV: Of the Performance of Contracts)

* धारा 37: संविदाओं के पालन का दायित्व (Obligation of parties to contracts)

* सिद्धांत (Principle): पक्षकारों का संविदा का पालन करने का दायित्व।

* English: Obligation of parties to perform their contracts.

* धारा 38: पालन के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इंकार करने का प्रभाव (Effect of refusal to accept offer of performance)

* सिद्धांत (Principle): निविदा (Tender of performance) का महत्व और उसके अस्वीकार करने का प्रभाव।

* English: Importance of tender of performance and the effect of its refusal.

* धारा 39: करार के पालन से वचनदाता के इंकार का प्रभाव (Effect of refusal of party to perform promise wholly)

* सिद्धांत (Principle): संविदा के पूर्व-भंग (anticipatory breach) का प्रभाव।

* English: Effect of anticipatory breach of contract.

* धारा 56: असंभव कार्य करने का करार (Agreement to do impossible act)

* सिद्धांत (Principle): संविदा का निराशा (frustration of contract) का सिद्धांत - जब संविदा का पालन असंभव या गैरकानूनी हो जाए।

* English: Doctrine of frustration of contract – when performance of a contract becomes impossible or unlawful.

* प्रमुख मामला (Leading Case): Satyabrata Ghose v. Mugneeram Bangur & Co., AIR 1954 SC 44

* सिद्धांत (Principle): संविदा का निराशा का सिद्धांत और यह कब लागू होता है।

* English: Explains the doctrine of frustration of contract and when it applies.

* धारा 62: नवप्रवर्तन, विखंडन और संविदा के परिवर्तन का प्रभाव (Effect of novation, rescission, and alteration of contract)

* सिद्धांत (Principle): संविदा को नवप्रवर्तन (novation), विखंडन (rescission), या परिवर्तन (alteration) द्वारा कैसे समाप्त या बदला जा सकता है।

* English: How a contract can be discharged or altered through novation, rescission, or alteration.

* धारा 64: व्ययणीय संविदा के विखंडन के परिणाम (Consequences of rescission of voidable contract)

* सिद्धांत (Principle): व्ययणीय संविदा को रद्द करने के परिणाम, जिसमें प्राप्त लाभ की बहाली शामिल है।

* English: Consequences of rescission of a voidable contract, including restoration of any benefit received.

* धारा 65: शून्य करार या विखंडित संविदा के फायदे को वापस करने का दायित्व (Obligation of person who has received advantage under void agreement, or contract that becomes void)

* सिद्धांत (Principle): शून्य करार या शून्य हो चुकी संविदा के तहत प्राप्त लाभ को वापस करने का दायित्व। यह पुनर्स्थापन (Restitution) के सिद्धांत से संबंधित है।

* English: Obligation to restore any advantage received under a void agreement or a contract that becomes void. This relates to the principle of Restitution.

भाग V: संविदा द्वारा सृजित जैसे संबंधों से सदृश कुछ संबंध (Part V: Of Certain Relations Resembling Those Created by Contract – Quasi-Contracts)

* धारा 68: संविदा करने के लिए अक्षम व्यक्ति को आपूर्ति की गई आवश्यकताओं के लिए दावा (Claim for necessaries supplied to person incapable of contracting, or on his account)

* सिद्धांत (Principle): अवयस्क या अस्वस्थ चित्त व्यक्ति को प्रदान की गई आवश्यकताओं के लिए दावा।

* English: Claim for necessaries supplied to a minor or person of unsound mind.

* धारा 69: किसी अन्य द्वारा देय धन का भुगतान करने वाले व्यक्ति की प्रतिपूर्ति (Reimbursement of person paying money due by another, in payment of which he is interested)

* सिद्धांत (Principle): किसी और के ऋण का भुगतान करने वाले व्यक्ति को प्रतिपूर्ति।

* English: Reimbursement of a person who pays money due by another, where they are interested in the payment.

* धारा 70: गैर-अनुग्रही कार्य के लाभ का आनंद लेने वाले व्यक्ति का दायित्व (Obligation of person enjoying benefit of non-gratuitous act)

* सिद्धांत (Principle): अर्ध-संविदा (Quasi-contract) की अवधारणा, जहाँ लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रतिपूर्ति के लिए बाध्य होता है।

* English: The concept of Quasi-contract, where a person enjoying the benefit of a non-gratuitous act is bound to make compensation.

* धारा 71: माल के खोजकर्ता का दायित्व (Responsibility of finder of goods)

* सिद्धांत (Principle): माल के खोजकर्ता के कर्तव्य और अधिकार।

* English: Duties and rights of a finder of goods.

* धारा 72: भूल या प्रपीड़न द्वारा दिए गए धन या दी गई वस्तुओं का संदाय (Liability of person to whom money is paid, or thing delivered, by mistake or under coercion)

* सिद्धांत (Principle): भूल या प्रपीड़न के तहत दिए गए धन या वस्तुओं को वापस करने का दायित्व।

* English: Obligation to repay money or return things paid or delivered by mistake or under coercion.

भाग VI: संविदा-भंग के परिणाम (Part VI: Of the Consequences of Breach of Contract)

* धारा 73: संविदा-भंग से हुई हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर (Compensation for loss or damage caused by breach of contract)

* सिद्धांत (Principle): संविदा-भंग के लिए सामान्य और विशेष नुकसान के लिए प्रतिकर (Compensation)।

* English: Compensation for general and special damages caused by breach of contract.

* प्रमुख मामला (Leading Case): Hadley v. Baxendale, (1854) 9 Exch 341 (अंग्रेजी मामला, भारत में लागू)

* सिद्धांत (Principle): नुकसान दूरस्थ (remote) नहीं होना चाहिए; यह स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होना चाहिए या पक्षकारों द्वारा संविदा के समय ज्ञात होना चाहिए।

* English: Losses must not be too remote; they must naturally arise or be known to the parties at the time of the contract.

* धारा 74: संविदा-भंग के लिए प्रतिकर जहां शास्ति उपबंधित हो (Compensation for breach of contract where penalty stipulated for)

* सिद्धांत (Principle): पूर्व-अनुमानित नुकसान (liquidated damages) और दंड (penalty) का अंतर।

* English: Distinction between liquidated damages and penalty.

* धारा 75: संविदा का सही ढंग से विखंडन करने वाला पक्षकार प्रतिकर का हकदार (Party rightfully rescinding contract, entitled to compensation)

* सिद्धांत (Principle): संविदा को वैध रूप से रद्द करने वाले पक्षकार को हुए नुकसान के लिए प्रतिकर का अधिकार।

* English: Right of a party rightfully rescinding a contract to compensation for damages sustained.

भाग VIII: क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूति की संविदाएं (Part VIII: Of Indemnity and Guarantee)

* धारा 124: 'क्षतिपूर्ति की संविदा' परिभाषित ('Contract of indemnity' defined)

* सिद्धांत (Principle): क्षतिपूर्ति की संविदा (Contract of indemnity) की परिभाषा।

* English: Definition of a contract of indemnity.

* धारा 125: क्षतिपूर्ति धारक का अधिकार जब उस पर मुकदमा चलाया जाए (Right of indemnity-holder when sued)

* सिद्धांत (Principle): क्षतिपूर्ति धारक (Indemnity-holder) के अधिकार।

* English: Rights of an indemnity-holder when sued.

* धारा 126: 'प्रत्याभूति की संविदा', 'प्रतिभू', 'मूल ऋणी' और 'लेनदार' परिभाषित ('Contract of guarantee', 'surety', 'principal debtor' and 'creditor')

* सिद्धांत (Principle): प्रत्याभूति की संविदा (Contract of guarantee) के पक्षकारों की परिभाषा।

* English: Definition of a contract of guarantee and its parties (surety, principal debtor, creditor).

* धारा 128: प्रतिभू का दायित्व (Surety's liability)

* सिद्धांत (Principle): प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के सह-विस्तृत होता है।

* English: The liability of the surety is co-extensive with that of the principal debtor.

* धारा 129: चालू प्रत्याभूति (Continuing guarantee)

* सिद्धांत (Principle): चालू प्रत्याभूति (Continuing guarantee) की परिभाषा।

* English: Definition of a continuing guarantee.

* धारा 134, 135, 139: प्रतिभू के उन्मोचन (Discharge of Surety) से संबंधित धाराएँ।

* सिद्धांत (Principle): प्रतिभू को किन परिस्थितियों में उसके दायित्व से उन्मोचित किया जा सकता है।

* English: Sections related to the discharge of a surety, outlining circumstances under which a surety can be discharged from their liability.

भाग IX: निक्षेप (Part IX: Of Bailment)

* धारा 148: 'निक्षेप', 'निक्षेपी' और 'निक्षेपीदार' परिभाषित ('Bailment', 'bailor', and 'bailee' defined)

* सिद्धांत (Principle): निक्षेप (Bailment) की परिभाषा और उसके पक्षकार।

* English: Definition of bailment and its parties (bailor, bailee).

* धारा 151: निक्षेपीदार द्वारा अपेक्षित युक्तियुक्त देख-भाल (Care to be taken by bailee)

* सिद्धांत (Principle): निक्षेपीदार (Bailee) का अपेक्षित देखभाल का मानक।

* English: Standard of care required from a bailee.

* धारा 152: जब निक्षेपीदार का दायित्व नहीं होता (Bailee when not liable for loss, etc., of thing bailed)

* सिद्धांत (Principle): किन परिस्थितियों में निक्षेपीदार हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होता।

* English: Circumstances under which a bailee is not liable for loss or damage to the bailed goods.

* धारा 172: 'गिरवी', 'गिरवीदार' और 'गिरवीदार' परिभाषित ('Pledge', 'pawnor', and 'pawnee' defined)

* सिद्धांत (Principle): गिरवी (Pledge) की परिभाषा और उसके पक्षकार।

* English: Definition of pledge and its parties (pawnor, pawnee).

* धारा 176: गिरवीदार का अधिकार जब गिरवीदार चूक करता है (Pawnee's right where pawnor makes default)

* सिद्धांत (Principle): गिरवीदार (Pawnee) के अधिकार जब गिरवीदार चूक करता है।

* English: Pawnee's right when the pawnor makes default.

भाग X: अभिकरण (Part X: Of Agency)

* धारा 182: 'अभिकर्ता' और 'प्रधान' परिभाषित ('Agent' and 'principal' defined)

* सिद्धांत (Principle): अभिकरण (Agency) के संबंधों की परिभाषा।

* English: Definition of the agency relationship (agent, principal).

* धारा 185: अभिकरण के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं (Consideration not necessary to create agency)

* सिद्धांत (Principle): अभिकरण के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती।

* English: Consideration is not necessary to create an agency.

* धारा 187: अभिव्यक्त और विवक्षित प्राधिकार (Express and implied authority)

* सिद्धांत (Principle): अभिकर्ता के प्राधिकार (Agent's authority) के प्रकार - अभिव्यक्त (express) और विवक्षित (implied)।

* English: Types of agent's authority – express and implied.

* धारा 196: किसी व्यक्ति के लिए कार्य, जो बिना प्राधिकार के किया गया हो (Right of person as to acts done for him without his authority)

* सिद्धांत (Principle): अनुसमर्थन (Ratification) का सिद्धांत - बिना प्राधिकार के किए गए कार्यों को बाद में स्वीकार करना।

* English: Doctrine of Ratification – subsequently adopting acts done without authority.

* धारा 201: अभिकरण का पर्यवसान (Termination of agency)

    * सिद्धांत (Principle): अभिकरण के पर्यवसान (Termination of agency) के तरीके।

* English: Modes of termination of agency.

* धारा 211: प्रधान के व्यवसाय में अभिकर्ता का कर्तव्य (Agent's duty in conducting principal's business)

    * सिद्धांत (Principle): अभिकर्ता के प्रधान के प्रति कर्तव्य।

* English: Agent's duty towards the principal.